

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ-226008

वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in) ; ई-मेल : [hajcommittee.up@gmail.com](mailto:hajcommittee.up@gmail.com)

पत्रांक: जी-11/663/एस.एच.सी/2025

दिनांक : 19/03/2025

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया के सकुर्लर-36 दिनांक 19 मार्च, 2025 में हज-2025 के सभी चयनित हज यात्रियों को तीसरी किस्त के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि से अवगत कराया गया है। जिन हज यात्रियों ने पहली और दूसरी किस्त जमा कर दी है उन्हें अब प्रत्येक हज यात्री की इम्बारकेशनवार शेष धनराशि जमा करनी होगी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

उड़ान स्थल	कुल धनराशि रु	जमा धनराशि (प्रथम किस्त+दूसरी किस्त = रु 2,72,300/-)	तीसरी किस्त/शेष धनराशि जो जमा किया जाना है। रु	इंफेण्ट (दो वर्ष के अन्दर) रु
दिल्ली	3,27,400/-	2,72,300/-	55,100/-	18,900/-
लखनऊ	3,37,350/-	2,72,300/-	65,050/-	18,850/-
मुम्बई	3,19,600/-	2,72,300/-	47,300/-	18,150/-
अहमदाबाद	3,24,650/-	2,72,300/-	52,350/-	14,950/-
हैदराबाद	3,30,300/-	2,72,300/-	58,000/-	20,650/-

हज यात्रियों को अपनी धनराशि वेबसाइट [www.hajcommittee.gov.in](http://www.hajcommittee.gov.in) से पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर स्टेट बैंक व यूनियन बैंक आफ इण्डिया में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 03 अप्रैल, 2025 है।

**नोट:** जिन हज यात्रियों ने अदाही/कुर्बानी का विकल्प लिया है उन्हें शेष धनराशि में रु 16,600/- अतिरिक्त जमा करने होंगे।

(एस.पी.तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त ई-सुविधा केन्द्र, समस्त प्रशिक्षक, उ०प्र०।
7. जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

9

(एस.पी.तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी